



वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 03.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि0 03.04.2025

वीडीए ने तीन अवैध निर्माण सील किए सील


वाराणसी। वीडिए की ओर से बुधवार को तीन अवैध निर्माण सील किए गए। वीडिए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के भदौनी में विरेंद्र कुमार मालू और चेतमणि चौराहा पर दो जगहों पर बगैर नक्शा पास अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे वीडिए की टीम ने सील किया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार की अगुवाई में अवैध निर्माण सील किए गए। ब्यूरो

हिन्दुस्तान—दि0 03.04.2025

वीडीए के ड्राइवर समेत चार पर केस

वाराणसी। पांडेयपुर में जमीन विवाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। सत्यनारायण प्रसाद ने कैट पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में मकान खरीदा था, जो चारों ओर से बाउंड्री से घिरा था। 3 फरवरी 2025 की सुबह विपक्षीय किशन पाल, पवन पाल, विक्की पाल, प्रियांशु उर्फ रसगुल्ला और डब्लू पाल ने पश्चिमी बाउंड्री तोड़ दी उनसे गाली-गलौज की। मुख्य आरोपी किशन पाल वीडिए में वाहन चालक है।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान—दि० 03.04.2025

वीडीए की नहीं, यह निजी कॉलोनी है

भुवनेश्वर नगर कॉलोनी वीडिए की नहीं है। यह निजी कॉलोनी है, नगरीय सीमा में होने के कारण वहां बुनियादी सुविधाएं नगर निगम मुहैया कराता है। वीडिए की जिम्मेदारी भवन का नक्शा स्वीकृत करने तक है। -पुलकित गर्ग, वीडिए उपाध्यक्ष



ज्ञानशिखा टाइम्स—दि० 03.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पर्वतन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर की पर्वतन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- भेलूपुर के




अन्तर्गत विरेन्द्र कुमार मालू, द्वारा आराजी नं० 442/4, मौजा-भदैनौ, भवन सं०-बी-27/87-8 व बी - 87/8 ए, चेतमणि चौराहा, थाना-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में क्षेत्रफल 1056 स्क्वियर मीटर में तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग का कार्य

बिना स्वीकृत मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा- 27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत जिसे बुधवार को 30प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता

सोनू कुमार उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।





वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 03.04.2025

चितरंजन पार्क के सौन्दर्यीकरण व उच्चीकरण के लिए विभिन्न सिविल एवं औद्योगिक कार्य का शिलान्यास



वाराणसी। गोदौलिया स्थित का शिलान्यास विधायक नीलकंठ चितरंजन पार्क के सौन्दर्यीकरण तथा तिवारी जी द्वारा किया गया। इस दशाश्वमेध पूजा के दुकानों के ऊपर निर्माण कार्य की कुल लागत विभिन्न सूचक बोर्ड लगाने का कार्य 17,99000,00 (17 लाख 99 हजार

रु०) है। इस परियोजना में पेड़ के चारों तरफ बैठने की कर्वड बेन्च, बिजली पैनल को एम०एस० जाली लगाकर वर्क करना, पाथवे पर पैराबोला का निर्माण कार्य, सी०एन०सी० कट जाली लगाने का कार्य, ग्रास पेवर लगाने का कार्य, स्टोन क्रैडिंग, वृक्षारोपण का प्रस्तावित है। शिलान्यास के अवसर पर विधायक नीलकंठ तिवारी उपस्थित रहे। मौके पर अधिशासी अभियंता अरविन्द शर्मा, अवर अभियंता संजय गुप्ता, जूनियर एसोसिएट इंजिनियर रोहित जायसवाल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश-दि० 03.04.2025

वीडीए जोन-4 की टीम ने की अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा दिनांक 02/04/2025 को 30प्र० द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में नगर नियोजन एवं विकास वाराणसी विकास प्राधिकरण, अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर के अंतर्गत सील किया गया। मौके की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण पर जोनल अधिकारी संजीव के विरुद्ध सील की कार्यवाही कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार सम्पादित की गयी। वार्ड- भेलूपुर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा के अन्तर्गत विरेंद्र कुमार मालू, आम जन मानस से अपील की द्वारा आराजी नं० 442/4, मौजा गयी है कि वाराणसी विकास भदौनी, भवन सं०-बी-27/87-8 व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत -87/8 ए, चेतमणि चौराहा, कराये बिना किसी भी प्रकार का थाना-भेलूपुर, जिला-वाराणसी में निर्माण कार्य न करें अन्यथा की क्षेत्रफल 1056 स्क्वियर मीटर में स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त तृतीय तल एवं चतुर्थ तल का निर्माण कार्य पूर्ण कर फिनिशिंग कार्यवाही की जायेगी। का कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र पास कराये निर्माण कार्य किये जाने पर 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (1) एवं 28 (11) के अन्तर्गत जिसे आज



: cvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awast Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in